राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः एफ.3/III/ए/निर्वा/लोकसभा.2014/5774 जयपुर, दिनांकः 16/4/14

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) चित्तौडगढ़

विषय :– संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर लगने वाले अर्द्धसैनिक बलों के यात्रा भत्ता भुगतान के संबंध में ।

प्रसंग :– आपके कार्यालय के पत्रांक 81 दिनांक 12.04.2014

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर लगने वाले पुलिस कर्मियों, अर्द्धसैनिक बलों एवं मोबाईल पार्टी में लगने वाले पुलिस कर्मियों को भी मतदान दलों के साथ ही मानकर यात्रा भत्ता का भुगतान निर्वाचन मद से करवाने हेतु मार्गदर्शन चाहा है।

इस संबंध में विभागीय आदेश संख्या 4097 दिनांक 29.03.2014 के बिन्दु संख्या 7 (i) के अनुसार जिन पुलिस कर्मियों/अर्द्धसैनिक बलों को मतदान दिवस पर मतदान केन्द्रों पर नियुक्त किया जाता है अथवा मोबाईल पार्टीज में (मतदान दिवस को) नियुक्त किया जाता है, को निर्वाचन मद से मतदान दलों की तरह यात्रा भत्ता उतने ही दिवस का देय होगा जितने दिवस का यात्रा भत्ता मतदान दलों को मतदान कराने हेतु दिया जावेगा । पुलिस कर्मियों/केन्द्रीय सैनिक बलों आदि को शेष दिवसों का यात्रा भत्ता का भुगतान पुलिस प्रशासन द्वारा स्वयं के बजट मद से किया जावेगा ।

भवदीय,

(पी.सी.गुप्ता)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.3/III/ए/निर्वा/लोकसभा.2014 5774 जयपुर, दिनांकः 16/4/14

1. प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
2. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान–जयपुर ।
3. श्री राजीव दासोत, अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस आर्मड बटालियन, राज0, जयपुर ।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।